न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्री विकास पंचोली (RAS)

वादपत्र संख्या 30/2013 दायर तारीख 03/06/2013

अनवान

1. केसरीमल पिता धीसा खाती निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)।
   1.(अ) श्री रमेश पिता केशरीमल खाती निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां।
   1.(ब) बाला पुत्री केसरीमल खाती निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां।
   1.(स) कमला पुत्री केशरीमल खाती केसरीमल खाती निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां।
   1.(द) लाली बेवा केसरीमल खाती निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां।

.....वादीगण

बनाम

1. कालू पिता हीरा खाती निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)।
2. ऊंकार पिता हीरा खाती निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)।
3. जगदीश पिता हीरा खाती निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)।
4. राजु पिता हीरा खाती निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)।
5. मन्जु पिता हीरा खाती निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)।
6. बाली बेवा हीरा खाती निवासी खेराड़िया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज.)।
7. मैनेजर सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा (राज.)
8. भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, तहसील बिजौलियां

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री छीतरलाल धाकड़ एडवोकेट
श्री अनिल कुमार धाकड़ एडवोकेट

.....अधिवक्ता वादीगण

श्री लक्ष्मीलाल सुराणा एडवोकेट
शिखा सुराणा एडवोकेट
शिलारानी राजपुत एडवोकेट

.....प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक :– 24/04/2019

संक्षेप में तथ्य प्रकरण के इस प्रकार हैं कि वादी केशरीमल द्वारा दिनांक 10.05.2013 ई. को एक वादपत्र अन्तर्गत **धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** के तहत प्रतिवादीगणों के खिलाफ प्रस्तुत कर न्यायालय से निवेदन किया गया कि वादी एवं प्रतिवादीगणों की शामलाती कृषि भूमि मौजा ग्राम खेराड़िया पटवार मण्डल लक्ष्मीखेड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

Scanned by CamScanner

में खाता संख्या 11 आराजी नम्बर 244 रकबा 5–02 बीघा, आराजी नम्बर 248 रकबा 0–06 बीघा कुल किता 2 रकबा 5–08 बीघा भूमि स्थित होकर उसमें वादी का 1/2 हिस्सा हैं। हिस्सा बाबत् विवाद होता रहता हैं। एवं प्रतिवादीगणों से बंटवारा कराने हेतु कहने पर वे तैयार नही हुए। एवं प्रतिवादीगणों की सहमति के अभाव में प्रतिवादीगण संख्या 8 विभाजन को तैयार नही हुए एवं प्रतिवादीगणों द्वारा अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 7 के पास गिरवी रखी होने से औपचारीक पक्षकार बनाते हुए दिनांक 28.04.2013 का वादकारण बनाते हुए वादपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नबल वादपत्र भेज करवायी गई।

प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की ओर श्री लक्ष्मीलाल सुराण ने अधिकार पत्र जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया गया प्रतिवादीगण ने आने जवाब में अंकित किया कि आराजीयात से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व वास्ता नही हैं। मात्र राजस्व रेकॉर्ड में त्रुटिपूर्ण तरीके से किये गये इन्द्राज का नाजायज लाभ वादी प्राप्त करना चाहता हैं। एवं काउन्टर क्लैम में उल्लेखित किया गया कि विवादित आराजीयात के गत बन्दोबस्ती नम्बर 152–153–154 जो गत बन्दोबस्त में अन्य खातेदारान के साथ श्रीकिशन पिता हीरा जी गुर्जर निवासी खेराड़िया के नाम सहकाश्तकार के रूप में दर्ज रेकॉर्ड थी और खातेदार श्रीकिशन ने दिनांक 30.01.1967 ई. को बिल एवज रूपये 4000/– अक्षरे चार हजार रूपये में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 6 के पति श्री हीरालाल पिता घीसा खाती निवासी खेराड़िया को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया तभी से प्रतिवादीगणों का पिता के समय से कब्जा चला आ रहा हैं। उक्त विक्रय पत्र दिनांक 30.01.1967 का विधिवत पंजीयन दिनांक 31.01.1967 को उप पंजीयक द्वारा किया गया। जिससे उक्त गत बन्दोबस्ती आराजी नम्बर 152–153–154 प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 6 के पति की स्वअर्जित आराजीयात थी। एवं उक्त दस्तावेज पंजीयन के जरिये जमाबन्दी सम्बत् 2021 से 2024 के राजस्व रैकॉर्ड में जरिये नामान्तरण संख्या 03 दिनांक 25.11.1970 से हीरा पिता घीसा खाती के नाम दर्ज रेकॉर्ड कर दी गयी। एवं वर्तमान भू–प्रबन्ध सम्वत् 2022 से पूर्व ही उक्त आराजीयात हीरा पिता घीसा के नाम पर दर्ज राजस्व रेकॉर्ड हो गयी थी। इस कारण वर्तमान बन्दोबस्त में उक्त आराजीयात के नये नम्बर के अनुसार आराजी संख्या 244 एवं 248 राजस्व रेकॉर्ड में अकेले हीरा पिता घीसा के नाम पर दर्ज होना चाहिये थी। परन्तु दौराने भूप्रबन्ध उक्त आराजी त्रुटिवश व वादी ने मिली भगत कर अपने नाम भी राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करवालिया जो त्रुटीपूर्ण एवं काबिल निरस्ती के हैं। भूप्रबन्ध विभाग को केवल गत इन्द्राज की पुनरावृती करने का अधिकार हैं। राजस्व रेकॉर्ड में किसी प्रकार का रदोबदल किया गया हैं वह खातेदार हीरालाल (प्रतिवादीगणों के पिता एवं पति) के मुकाबले शून्य व अप्रभावी हैं। भूप्रबन्ध विभाग व उनके कर्मचारियों द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही कर उक्त अंकन किया गया है वह उनके क्षैत्राधिकार से परे होकर शून्य हो काबिल दुरस्ती के हैं। इस प्रकार उक्त आराजी नम्बर 244 व 248 अकेले हीरा पिता घीसा खाती व उसके उपरान्त प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 को खातेदारी अधिकार घोषित किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत हैं। इसका कारण काउन्टर क्लेम अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत स्वीकार किया जावें प्रतिवादीगणों को

लगातार पेज संख्या 03 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

जानकारी वादपत्र की नकले प्राप्त करने की दिनांक से सतत् रूप जारी है एवं उक्त आराजीयात बावत काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 को उक्त सम्पूर्ण आराजीयात 244 एवं 248 पर से वादी का कब्जा हटाया जाकर डिक्री प्रतिवादीगण के पक्ष में विरूद्ध वादीगण प्रदान की जावें।

दौराने कार्यवाही प्रकरण वादी की मृत्यु हो जाने पर वादी के वारासों की और से प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने पर वादी के वारीस को पक्षकार बनाया गया।

शहादत वादी में वादी की ओर से पीडब्ल्यू 1 गवाह स्वयं वादी केशरीमल ने दिनांक 03.10.2017 ई. को करवाये जाकर साक्ष्य बन्द की गयी प्रतिवादीगण साक्ष्यी में गवाह डीडब्ल्यू 1 का शपथ पत्र दिनांक 21.11.2017 को प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में स्वयं के बयान एवं शहादत में प्रस्तुत जमाबन्दी को प्रदर्श 1 प्रदर्शित करवाया गये।

प्रतिवादी ने अपने साक्ष्य में अपने बयान जरिये शपथपत्र डीडब्ल्यू 1 के रूप में प्रस्तुत किये एवं शहादत में दस्तावेज रजीस्ट्री नामान्तरण संख्या 3 दिनांक 25.11. 1970 एवं मिलान खसरा की प्रति पेश की गई ।

प्रतिवादीगण संख्या 7 एवं 8 की और से कोई जवाब दावा प्रस्तुत नही किया गया।

वादी के वादपत्र प्रतिवादीगणों द्वारा प्रस्तुत जवाब दावे एवं काउन्टर क्लैम के आधार पर प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गयी।

तनकी नं0 1. आया वादपत्र की कलम संख्या 1 में दर्ज राजस्व आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के संयुक्त स्वामित्व की होकर उसमें वादी का 1/2 स्वामित्व निहित हैं।

..... जिम्मे वादी

तनकी नं0 2. आया वादी द्वारा दिनांक 28.04.2013 ई. को भूमि का विभाजन कराने हेतु कहा परन्तु प्रतिवादीगणो की सहमति के अभाव में विभाजन नहीं हो पाया। इस कारण वादी को बीनाय वाद प्राप्त है।

..... जिम्मे वादी

तनकी नं0 3. आया वादी को मौजा खेराड़िया की आराजी संख्या 244 रकबा 5 बीघा 2 बिस्वां व आराजी संख्या 248 रकबा 6 बिस्वां कुल किता 2 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वां का 1/2 हिस्से का हिस्सेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

..... जिम्मे वादी

तनकी नं0 4 आया वादी द्वारा विभाजन हेतु वाद कारण बताया गया हैं। एवं घोषणा हेतु कोई वाद कारण अंकित नही किया गया हैं। जबकि अनुतोष घोषणा का चाहा गया हैं। इस कारण वाद त्रुटिपूर्ण होने से चलने योग्य नही हैं।

..... जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी नं0 5 आया विवादित आराजीयात के गत बन्दोबस्त नम्बर 152–153 एवं 154

उपखण्ड अधिकारी
विजोलियाँ जि.-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 04 पर

Scanned by CamScanner

थे जो श्रीकिशन पिता हीरा गुर्जर निवासी खेराड़िया के राह काश्तकार के रूप में दर्ज रेकॉर्ड थी। जिसको दिनांक 30.01.1967 को बिल एवज प्रतिफल राशि 4000/– रूपयें प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 6 के पति हीरालाल पिता घीसा खाती निवासी खेराड़िया द्वारा क्रय किया गया हैं एवं जिसका विधिवत पंजीयन दिनांक 31.01.1967 को किया गया।

.... जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी नं0 6 आया गत बन्दोबस्ती आराजी संख्या 152–153–154 प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के पिता एवं प्रतिवादीगण संख्या 6 के पति की स्व अर्जित सम्पति थी जो नामान्तरण संख्या 3 दिनांक 25.11.1970 को हीरा पिता घीसा खाती के नाम दर्ज रेकॉर्ड की गयी एवं जमाबन्दी सम्वत 2021 से 2024 में दर्ज की गयी। उक्त सम्पति उनकी एकल सम्पति हैं।

.... जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी नं0 7 आया दौराने भू–प्रबन्ध उक्त आराजीयात त्रुटीवंश एवं वादी द्वारा मीली भगत कर वादी का नाम राजस्व रैकॉर्ड में बिना किसी अधिकार के जुड़वा लिया गया जो अवैध होकर उक्त अंकन खारीज किये जाने योग्य हैं।

.... जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी नं0 8 आया भु–प्रबन्ध विभाग व उसके कर्मचारीयों द्वारा त्रुटीपूर्ण रूप से अंकन किया गया हैं। वह उनके क्षैत्राधिकार से परे होकर शून्य हैं। एवं काबिल दुरस्ती के हैं। एवं हीरा पिता घीसा खाती के बाद उक्त आराजीयात 244, 248 प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के स्वामित्व की घोषित किया जाना धारा 88 रा.टी. एक्ट के तहत आवश्यक हैं।

.... जिम्मे प्रतिवादीगण

तनकी नं0 9 अनुतोष

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों दस्तावेजो एवं शहादत का अवलोकन एवं मनन किया गया हैं।

प्रत्येक तनकीयात पर अलग–अलग निर्णय करने से पूर्व शहादत में जो तथ्य आये उनका एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का मनन किया जाना आवश्यक समझा जाता हैं।

वादी के बयान पीडब्ल्यू 1 दिनांक 03.10.2017 को लिये गये बयान में अंकित किया गया कि प्रदर्श EX1 में दर्ज आराजीयात शामलाती खाते की 5 बीघा 8 बिस्वां भूमि के 1/2 हिस्सा होना एवं हिस्सा अनुसार कब्जा होने का तथ्य एवं अलग काश्त करना बताते हुए बंटवारा करने का दावा किया गया हैं।

वादी ने अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से कहा है कि यह जमीन पैतृक भूमि नही होकर खरीदी हुई हैं। खरीदे हुए 40 से अधिक वर्ष हो गये। पहले गुर्जर की भूमि थी। यह बात भी उसके द्वारा स्वीकार की गयी हैं कि यह जमीन दिनांक 30.01.1967 को मेरे भाई हीरालाल ने बिल एवं प्रतिफल राशि 4000/– रूपये में श्री कृष्ण पिता हीरा गुर्जर निवासी खेराड़िया से खरीद की गयी।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि. भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 05 पर

Scanned by CamScanner

क्रय दस्तावेज का पंजीकृत दस्तावेज EXD1 हैं। यह भी स्वीकार किया गया कि सम्वत् 2021 से सम्वत् 2024 से जमाबन्दी की नकल EXD2 हैं। एवं मीलान खसरा EXD3 हैं। उक्त जमीन सेटलमेन्ट से पहले ही मेरे भाई के नाम EXD विक्रय पत्र के माध्यम से आ गयी। एवं उसके आधार पर नामान्तरण खुला था। जमीन खरीदने के 11 महीने बाद पैमाईसवालों से मिलकर खाते में मेरा नाम जुड़वाया गया। दिनांक 24.11.1970 को यह जमीन पैमाईस से पूर्व ही मेरे भाई के नाम आ गयी। किन किन आराजीयात पर मेरा 1/2 हिस्सा हैं मुझे ज्ञात नही कौनसे नम्बरों का दावा किया यह मुझे जानकारी में नही। यह बात गलत है कि मेरे राजस्व रैकॉर्ड से नाम होने से जमीन प्राप्त करने के लिए झुठा दावा किया हो।

प्रतिवादी जगदीश द्वारा शपथपत्र पर साक्षी दी गयी एवं जिरह में भी ऐसा कोई तथ्य प्रमाणित नही हो पाया जिससे शपथपत्र में अंकित साक्ष्य से विरोधाभासी हो। केवल मात्र साक्षी के 1/2 हिस्सा में ही ऋण होने का तथ्य स्वीकार किया गया हैं।

प्रकरण में प्रस्तुत राजस्व रेकॉर्ड में जमाबन्दी वादी द्वारा प्रस्तुत EX1 हैं जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रेकॉर्ड हैं।

उपरोक्त तथ्यों एवं दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर तनकी संख्या 1 से 3 जो वादी के जिम्मे है उनका निर्धारण एक साथ किया जाना उचित एवं न्यायोचित होगा।

यह स्थापित है कि वर्तमान राजस्व दस्तावेज प्रदर्श 1 में उक्त राजस्व आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त दर्ज राजस्व रेकॉर्ड हैं। इसके अलावा वादी किसी भी प्रकार का कोई तथ्य न्यायालय के सामने स्पष्ट प्रमाणित नही करवाया। एवं इसके विपरीत प्रतिवादीगणों द्वारा प्रस्तुत सभी प्रश्नों एवं तथ्यों को स्वीकार किया गया हैं कि यह जमीन उसकी पैतृक नही है। उसके भाई हीरा द्वारा जरिये पंजीकृत दस्तावेज खरीद की गयी एवं सेटलमेन्ट से पूर्व ही उक्त आराजीयात नामान्तरण के जरिये उसके भाई के नाम पर आ गयी थी एवं सेटलमेन्ट वालो से मिलकर उसने अपना नाम राजस्व रेकॉर्ड में अंकित करवाया गया। उक्त स्वीकारोक्ती तथ्यो से प्रमाणित है कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में उल्लेखित आराजीयात के राजस्व रेकॉर्ड में वादी द्वारा अपना नाम से सेटलमेन्ट अधिकारीयों से मीली भगत कर सेटलमेन्ट के दौरान अंकित करवाया गया। केवल मात्र राजस्व रेकॉर्ड में नाम दर्ज करवाने मात्र से कोई व्यक्ति सम्पति का मालिक नही बन जाता दस्तावेज जितने भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। उन पर किसी भी प्रकार का सन्देह किये जाने का कोई कारण नही हैं। एवं उन सभी दस्तावेजों को वादी द्वारा अपनी शहादत में स्वीकार किया गया हैं। एवं सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य से यह स्पष्ट प्रमाणित है कि वादपत्र की कलम संख्या 1 में उल्लेखित राजस्व आराजीयात वादी की पैतृक सम्पति नही होकर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 6 के पति के द्वारा जरिये पंजीकृत दस्तावेज से क्रय की गयी स्व अर्जित सम्पति हैं एवं वादी द्वारा सेटलमेन्ट अधिकारियों से मिलकर स्वयं का नाम जुड़वाने का तथ्य स्वयं वादी द्वारा स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में वादी के जिम्मे की सभी तनकीयात वादी के विरूद्ध तय की जाती हैं। एवं प्रतिवादीगणों के पक्ष में निर्णित की जाती हैं। तनकी नम्बर 4–5–6–7–8 को साबित करने का भार प्रतिवादीगों पर था एवं वादी एवं प्रतिवादीगण के बयानों से स्पष्ट है एवं तनकी नम्बर 1–2–3 को न्याय निर्णयन में जो तथ्य प्रमाणित माने गये हैं एवं उक्त सभी तनकीयात को

लगातार पेज संख्या 06 पर

उपखण्ड अधिकारी
बिजोलियाँ जि.-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

प्रतिवादीगणों द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट प्रमाणित करवा पाये है। एवं स्पष्ट प्रमाणित किया गया है कि राजस्व ग्राम खेराड़िया की राजस्व आराजीयात संख्या 244, 248 जो वर्तमान राजस्व खाते में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम 1/2 हिस्से रूप में दर्ज है। उक्त राजस्व आराजीयात के गत बन्दोबस्त नम्बर 152–153–154 थे। जिनके नये नम्बर 244 एवं 248 अंकित हुये हैं। जो मीसल खसरा से प्रमाणित हैं। साथ ही यह स्पष्ट प्रमाणित है कि श्री हीरा पिता घीसा द्वारा उक्त आराजीयात 152–153–154 जरिये पंजीकृत दस्तावेज के श्रीकृष्ण से क्रय की गयी होकर उसके एकल स्वामित्व की सम्पति थी एवं गत बन्दोबस्त से पूर्व ही सम्वत् 2021 से 2024 की जमाबन्दी राजस्व रेकॉर्ड में उक्त आराजीयात जरिये नामान्तरण संख्या 3 के श्री हीरा पिता घीसा के नाम दर्ज की जा चुकी थी। बन्दोबस्त अधिकारी द्वारा गतबन्दोबस्त के खातेदारों का नाम हटाने या जोड़ने का अधिकार उनको नही हैं। वादी द्वारा स्पष्ट स्वीकार किया गया है कि उसने सेटलमेन्ट वालों से मिलकर उसका नाम जुड़ाया गया था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वादी द्वारा राजस्व खाते में अपना नाम बिना किसी हक अधिकार के सेटलमेन्ट वालों से मिलकर जुड़ाया जो अवैध एवं समाप्त किये जाने योग्य हैं। एवं प्रतिवादीगण तनकी संख्या 4–5–6–7–8 को जरिये दस्तावेज अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया सफल रहे हैं। इस कारण तनकी नम्बर 4–5–6–7–8 का निर्णय प्रतिवादीगणों के पक्ष में एवं वादीगणों के विरूद्ध में तय की जाती हैं। तनकी नं0 4 घोषणा से सम्बन्धित हैं। परन्तु घोषणा हेतु वाद कारण वादपत्र में अंकित नही हैं।

तनकी संख्या 6–7–8 के निस्तारण के आराजी संख्या 244 एवं 248 राजस्व ग्राम खैराड़िया की सम्पूर्ण आराजीयात का एक मात्र मालिक हीरा पिता घीसा एवं उसके उपरान्त दुसरे वारीस प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 होते हैं। इस कारण प्रतिवादीगणों द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लैम स्वीकार किया जाना विधि सम्मत एवं न्याय संगत हैं।

अतः वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार किया जाता है। एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि ग्राम खेराड़िया स्थित आराजी संख्या 244 एवं 248 पर दर्ज राजस्व रेकॉर्ड से वादी का नाम हटाया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 को सम्पूर्ण खाते का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। एवं अगर दौराने वाद वादी के स्थान पर राजस्व रेकॉर्ड में वादी के वारीसान का नाम अंकित कर दिया गया हो तो भी उसे तत्काल प्रभाव से हटाया जाने का आदेश दिया जाता हैं। डिक्री मूर्तिब हों। पक्षकारान खर्चा अपना– अपना वहन करेगें।

निर्णय आज दिनांक **24/04/2019** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner